

राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

एफ. 20 (आई-51)आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस 2013-14/6031-6041 दिनांक: 09/05/14

कार्यालय आदेश


इस विभाग के पत्रांक एफ.18 (आई-51) निजमूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी/ 2011-12/ 4800-5087 दिनांक 05.08.2011 के द्वारा स्वीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना हेतु वर्ष 2011-12 में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रबंधक डब्ल्यू.सी.डी.सी. बूंदी के प्रस्ताव के अनुसार बूंदी आईडब्ल्यूएमपी 7 व बूंदी आईडब्ल्यूएमपी 8 परियोजनान्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	भारत सरकार/निदेशालय द्वारा जारी एएस/एफएस के अनुसार मैको/माईको के नम्बर	संशोधित किए गए मैको/माईको का नम्बर	कारण
	बूंदी (IWMP) 7/2011-12	बूंदी (IWMP) 8/2011-12	
1	090405 / 8.15,16,17,18	090405 / 12.14, 090406 / 1,2	परियोजना प्रबंधक बूंदी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की पी.पी.आर.7 में टंकन की त्रुटि से बूंदी आईडब्ल्यूएमपी 7 व 8 के मैको/माईको नं. Interchange हो गए थे।

उपरोक्त संशोधन से परियोजना का क्षेत्रफल व लागत भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार ही यथावत है।


उक्त संशोधन एस.एल.एन.ए. की बैठक दिनांक 21.02.2014 में अनुमोदित है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

एफ. 20 (आई-51)आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस 2013-14/6031-6041 दिनांक: 09/05/14

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक-11 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बूंदी।
4. अति. निदेशक (प्रशासन/आईडब्ल्यूएमपी) निदेशालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी।
6. वित्तीय सलाहकार निदेशालय जयपुर।
7. परियोजना प्रबंधक डब्ल्यूसीडीसी जिला परिषद बूंदी।
8. लेखाधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
9. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, नैनवा (बूंदी)।
10. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।


अति० निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)